

02/01/2025.-

सार्थना पत्र डाकगिर द्वारा
151 सी.पी.सी. जर्मनी वादी
आधिवक्ता प्रस्तुत किया
गया। जिसमें आधिवक्ता
द्वारा जमाबंदी में अंकित
नोट को हटाने हेतु निवेदन
किया। सार्थना पत्र के संलग्न
दस्तावेजी का अवलोकन किया
गया। आधिवक्ता के संबंध
में तथ्यों पर मनन कर
तहसीलदार जीधपुर की पूर्व
में जमाबंदी में अंकित नोट
हटाने हेतु तहरीर जारी हो।
सार्थना पत्र निस्तारित किया
गया।

Abhishek
2/1/25

सहायक कलेक्टर
(आर.डी.) जोधपुर